FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (SDO) बायतु.... मुकाम ....

....भानाराम वगैरा.... बनाम ....तहसीलदार गिड़ा....

किस्म मुकदमा ....रा० आवेदन 131,136 RLRAct.... नं. ....03/2022.... सन् ....2022....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जंज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/01/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....इन्द्रसिंह चौधरी.... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....131,136 RLRAct.... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....04/01/2022.... को पेश हो। तहसीलदार गिड़ा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली नियत दिनांक 04/01/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
04/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 13/01/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
13/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को निवेदन व	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

तहसीलदार जिरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई पत्रावली व पंजावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड पत्रकारों के मध्य सहमति विभाजन की प्रति का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर सं. 84 हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः– जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या–02/2022

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थी**
1. थानाराम पुत्र हस्ताराम 2. झीमोंदेवी पत्नी हस्ताराम जातियान् जाट निवासी पूनियों का तला, तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार गिड़ा

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश दिनांकः–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री कुम्भसिंह चौधरी एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी खेत मौजा पूनियों का तला पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 623/525 रकबा 5.9408 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि मूल खसरा नम्बर 525 का भाग था तथा बाद में प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारों के मध्य मूल खसरा नम्बर 525 का बंटवाड़ा होने के बाद नये खसरा नम्बर 623/525 प्रार्थीगण के पक्ष में आया तथा प्रार्थीगण की भूमि की अलग तरमीम की हुई है। परन्तु वर्तमान में भूमि का कम्प्यूटीकरण होने के समय प्रार्थीगण के खेत का नक्शा ट्रेस में तरमीम वास्तविक रकबे से कम कर दी गई है। जबकि प्रार्थीगण के खेत का रकबा 5.9808 हैक्टेयर है। इसी रकबा के अनुसार तरमीम की जानी चाहिये परन्तु लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त तथा जमाबंदी में अंकित रकबा में अन्तर है। प्रार्थीगण द्वारा मौके पर कब्जा काश्त व जमाबंदी अंकित रकबा के अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्ती हेतु यह आवेदन पेश किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, तहसीलदार, गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, गिड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट में वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार तरमीम प्रस्तावित की गई है।

हमने राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मौजा पूनियों का तला पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 623/525 रकबा 5.9408 हैक्टेयर भूमि की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गिड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा के अनुसार तरमीम शुद्व करने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गिड़ा आदेशानुसार तरमीन किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफतर हो ।

आदेश आज दिनांक 13/01/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु